राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

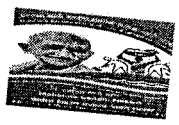

कमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/आईपीपीई/2014-15
जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस
(समस्त जिले)

जयपुर,दिनांकः–

10 FEB 2015

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के श्रमिक समूह बनाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के Schedule-1 के Para 28 में राज्य सरकारों को सरकारी मशीनरी/civil society Organisation की सहायता से श्रमिकों के समूह बनाकर, उनकी भागीदारी योजना के कियान्वयन में बढ़े, इस हेतु कदम उठाए जाने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. **श्रमिक समूह गठन हेतु योग्यता** :– समस्त मनरेगा श्रमिक, जो जॉब कार्डधारी परिवार के सदस्य हैं, तथा जिसके सदस्यों द्वारा कम से कम 10 दिवस एक वित्तीय वर्ष में कार्य किया हैं, एक श्रमिक समूह के भाग होने के पात्र होंगे।
2. **श्रमिक समूह गठन** :– श्रमिक समूह 10 से 15 जॉब कार्डधारी परिवारों का होगा, तथा प्रमुखतः ये परिवार आस–पास के क्षेत्र के होंगें।
3. **समूह गठन हेतु प्रक्रिया** :–
   (a) कार्यक्रम अधिकारी ऐसे परिवार जिन्होंने वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 दिवस कार्य किया है, की सूची एमआईएस से तैयार करेगें
   (b) कार्यक्रम अधिकारी इस सूची के आधार पर ढाणी/गांव वार बैठकें आयोजित कर, श्रमिक समूहों का गठन करेगें।
   (c) इन बैठकों के दौरान श्रमिकों की स्वेच्छा से समूह गठन किया जावे,
   (d) प्रत्येक श्रमिक समूह में दो प्रतिनिधियों (एक पुरूष एवं एक महिला) का चयन किया जावेगा,जो सामान्यतः Vulnerable श्रेणी के होंगे।
   (e) श्रमिक समूह की सूची निम्न प्रारूप में तैयार की जावे।

क्र. स	ग्राम पंचायत	ग्राम	श्रमिक का नाम	श्रेणी Sc/St/ Obc/Other	जॉब कार्ड संख्या	श्रेणी महिला प्रतिनिधि पुरूष प्रतिनिधि	श्रमिक समूह का कमांक (एमआईएस से प्राप्त)	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

   (f) सहयोगकर्ता (Facillitators) के रूप में CSO, भारत निर्माण स्वंय सेवक, आईपीपीई BPT के सदस्य तथा पं0राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जावे।
   (g) श्रमिक समूह गठन के उपरांत समूह से सम्बन्धित विवरण मनरेगा के एमआईएस पर प्रविष्टी कराकर, समूह का यूनिक पहचान कंमाक प्राप्त कर सूची में अंकित किया जावे।

. समूह की कार्य प्रणाली :–

(a) समूह में कार्य की मांग

समूह अपनी वास्तविक आवश्यकतानुसार, कार्य की मांग हेतु आवेदन पत्र दे सकेगें।.

(b) कार्य आवटंन

जहां तक सम्भव हो, समूह द्वारा चाहे गए कार्य पर, कार्य आवटंन किया जावेगा, जिससे समूह को प्रतिदिन की अधिकतम निर्धारित मजदूरी मिल सके।

(c) साप्ताहिक बैठके

समूह निम्न बिन्दुओं के निर्धारण हेतु सप्ताह में प्रत्येक गुरूवार को बैठक करेगा।

1. आगामी पखवाडे की कार्य की मांग
2. गत पखवाडे में किए कार्य का प्रतिदिन मजदूरी दर व कुल भुगतान योग्य राशि
3. गत भुगतान प्राप्त हुआ/नहीं हुआ
4. पूर्व शिकायत की स्थिति एवं अन्य सम्बन्धित बिन्दु

(d) ग्रा0प0 के साथ बैठके

ग्राम पचांयत के साथ माह के प्रथम सप्ताह में, गुरूवार को श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में समूहों की बैठक आयोजित कराई जावे, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगें।

(e) समूह द्वारा ऑडिट

कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक श्रमिक समूह से एमआईएस से उनकी ग्रा0प0 में कराए गए कार्यो की सूची उपलब्ध कराएगा तथा समूह से इन कार्यो की गुणवत्ता, उपयोगिता इत्यादि के सम्बन्ध में फीड बेक प्राप्त कर सकेगा।

5. यदि ग्राम पंचायत में 10 से अधिक श्रमिक समूह हैं तो इन समूहों की 6 माह तक की प्रगति (Performance) अच्छी होने पर ग्रा0प0 स्तर पर फैडरेशन बनाई जा सकेगी।

6. प्रथम चरण में श्रमिक समूह गठन की कार्यवाही आईपीपीई ब्लॉक्स में प्रारम्भ की जावें।

4/12/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस
जयपुर,दिनांक:–

क एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/आईपीपीई/2014–15

नपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

शिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
जी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
जी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
जी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
तिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रिषद, समस्त राजस्थान।
तिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जयपुर/बाडमेर।
ख्यालय के समस्त अधिकारीगण, श्री.....।
धिषाशी अभियन्ता (ईजीएस) समस्त।
न्वयक (आई ई सी) महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय।
क्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एवं उपसचिव, ईजीएस

AM